



## अल्पकालीन कुटेशन सूचना

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से अनुभवी नलकूप ठकेदारों से शाकुन्तलम योजना मुजफ्फर नगर के सम्पवेल पर संस्थापित सबमर्सिबल सीवेज पम्पिंग प्लाण्ट के अनुरक्षण कार्य हेतु प्रतिस्पर्धात्मक दरें मुहरबन्द कुटेशन से दिनांक 12-11-17 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगी। जिसे अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित कुटेशनदाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेंगी।

**Name of work:- Maintenance of Submersible motor & pump set at Sumpwell Shakuntalam Vihar  
Yojna, Muzaffar Nagar.**

S.N.	ITEM	QTY.	UNIT	RATE	AMOUNT
1	Dismantling, Rewinding & Lowering of 15/10 H.P. Sewage Motor Pump Set complete with all material labour, T&P etc.	3	Job.		
2	S/R of Thrust Bearing	3	No.		
3	Mechanical Seal	3	No.		
4	S/R of Cable Sealing Set	4	No.		
				<b>Total Rs.</b>	

## नियम एवं शर्तें

- 1 यदि किसी कारणवश कुटेशन सूचना में उल्लिखित तिथियों को अवकाश होने पर कुटेशन अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- 2 कार्य पूर्ण करने की अवधि 15 दिन होगी।
- 3 कुटेशनदाता फर्म को जी.एस.टी. से पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं उनके सभी देयकों से निमानुसार जी.एस.टी. आयकर एवं अन्य कोई कर जो भी सरकार द्वारा लागू किया जाता है की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- 4 कुटेशनदाता द्वारा कुटेशन में दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर कुटेशनदाता अयोग्य समझा जायेगा एवं कुटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी आपूर्ति आदेश के पश्चात होती है तो आपूर्ति आदेश उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
- 5 अद्योहस्ताक्षरी की कोई भी अथवा समस्त कुटेशन बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 6 सशर्त कुटेशन मान्य नहीं होगी।
- 7 कार्य का भुगतान संतोषजनक स्थिति में पूर्ण करने पर किया जायेगा।
- 8 किसी भी विवाद हेतु न्यायिक क्षेत्र जिला कानपुर नगर का न्यायालय होगा।
- 9 10 प्रतिशत धनराशि कार्य पूर्ण होने की तिथि से 3 माह तक मेन्टीनेन्स हेतु बन्धक बना के रखी जायेगी।
- 10 समस्त कार्य की एकल दर ही देनी होगी।
- 11 कार्यस्थल पर कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
- 12 पुराने एवं अनउपर्युक्त सामग्री के विरुद्ध 2 प्रतिशत धनराशि की कटौती बिल से की जायेगी।
- 13 कार्य में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अनुमोदित मेक की होनी अनिवार्य है।
- 13 दरों की वैधता के लिये रू० 100/- के नॉन जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर रू० 1 की रसीदी टिकट लगाना अनिवार्य है।
- 14 दरें आइटम वाइज दी जायेंगी।

भवदीय

( आवेश )

अधिसासी अभियन्ता

पृ०सं० : 1530

/ वि०ख०-3, कानपुर/

तददिनांक

20-11-17

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1 अधीक्षण अभियन्ता (म०), विद्युत वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 2 श्री दयाराम मौर्य, सहायक अभियन्ता (द्वितीय), विद्युत-खण्ड-तृतीय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
- 3 सिस्टम मैनेजर कम्प्यूटर सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
- 4 सहायक लेखाधिकारी विद्युत खण्ड- तृतीय, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
- 5 नोटिस बोर्ड, विद्युत खण्ड-तृतीय, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

अधिसासी अभियन्ता